



बिहार सरकार

जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | WEST CHAMPARAN
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना
प्रमाण पत्र



सेवा मे

फाइल - SSA/RTE / 1969

दिनांक - 25/05/2026

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

ST MICHAEL'S ACADEMY

MEHANDIABARI CHHAWANI

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र ।

महोदय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक. 21-08-2025 और उसके क्रम मे आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण एवं जिला स्तरीय त्रिसदस्यीय समिति के बैठक दिनांक : 25-05-2026 में किये गए निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय ST MICHAEL'S ACADEMY, MEHANDIABARI CHHAWANI, BETTIAH DIH, 845438 को कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्षा 25-05-2026 से 25-5-2029 अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कड़िका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे. :
 - (i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
 - (ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
 - (iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - (iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - (v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
 - (vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।
 - (vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
 - (viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।
8. विद्यालय केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को यत्नकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत:

(i) विद्यालय परिसर क क्षेत्रफल :- 12140 डिसमिल

(ii) कुल निर्मित क्षेत्र :- 12140 डिसमिल

(iii) खेल के मैदान क क्षेत्र :- Digital Class Rooms, CCTV Surveillance, Smart Class , Science Labs, Computer Labs, Library, Safe & Secure Campus , Safe Drinking Water, Football & Cricket

(iv) वर्ग कक्षा की कुल संख्या :- 44

(v) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-भंडार कक्षा :- 4

(vi) वातक तथा वातिकाओं के लिये अलग-अलग शौचालय :- Both Indian and Western , Boys :- 37 , Girls 17

(vii) पेयजल की सुविधा :- 20

(viii) मध्याह्न भोजन के लिये रसोई घर :- 2

(ix) वाधारहित पहुँच, [] :-

(X) शिक्षण अधिगम सामग्री/ खेल-कुद उपकरण/ पुस्तकालय :- A. General Teaching-Learning Aids (All Classes) Blackboard / Whiteboard Chalk / Markers & Duster Charts (Subject-wise & Value-based) Flash cards Maps (Political, Physical, Thematic) Globe Models (Human body, Solar system, Geometrical solids) , Outdoor Games Equipment Cricket Artificial Mat Cricket bats (Junior & senior) Leather & tennis balls Stumps with balls Batting pads, gloves Helmets Boundary markers Scoreboard Football Footballs (sizes 3, 4, 5) Goal posts with nets Co. (Y. 4253 , NewsPaper MagaZine:- 11)

11. कोई भी अपस्वीकृत वर्गका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा ।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा ।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबन्धित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा ।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा ।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी ।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या [20310282021923183604-2025-2026, 2025] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्धृत किया जाए ।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समय "माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा ।

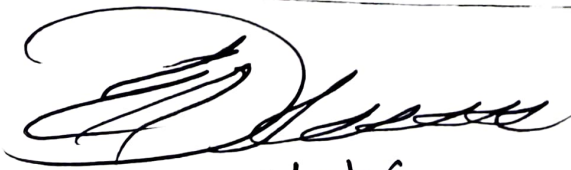
18. यदि सोसाईटी के निबन्धन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए ।

19. अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें


विश्वास भोजन
हो :-

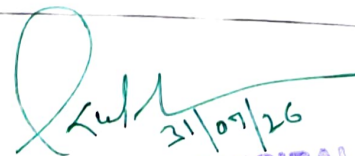
जिला शिक्षा पदाधिकारी, WEST CHAMPARAN
शिक्षा विभाग , बिहार सरकार

NOG-LETTER



31/07/26

SECRETARY
ST. Michael's Education And Welfare Society
Kamal Nath Nagar, BETTIAH - 845438


31/07/26
PRINCIPAL
ST. MICHAEL'S ACADEMY
Bettiah, West Champaran